

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राचार्य एवं समकक्ष पद के निम्नांकित शिक्षा अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन नियम) 1996 के नियम 50(1) प्रावधानान्तर्गत शर्तें पूर्ण करने पर एवं इनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर इनके नाम के सामने कॉलम संख्या 07 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

| क्र. सं. | नाम                         | जन्म तिथि  | पद        | पदस्थापन स्थान                                                                  | राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वांछे जाने की दिनांक |
|----------|-----------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 01       | 02                          | 03         | 04        | 05                                                                              | 06                                 | 07                                          |
| 01       | नाथूराम<br>RJNA199128011645 | 03-07-1968 | प्राचार्य | राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेडूली (486418),<br>पं.स. मेडतारिटी<br>जिला नागौर | 09-12-1991                         | 01-01-2024                                  |

उपर्युक्त कार्मिक के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आदेश जारी होने की तिथि तक :-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एवी/ए-3/स्वै.से.नि./नाथूराम/2023/16

दिनांक: 04.10.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर।
- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, अजमेर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर/जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, नागौर व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं.स. मेडतारिटी जिला नागौर/नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबंद किया जाता है कि उक्त उल्लेखित स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने वाले प्राचार्य एवं समकक्ष शिक्षा अधिकारी से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही अमल में लावें। इस हेतु आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- सहायक निदेशक, (विभागीय जांच), कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक की स्वै.से. नि. तिथि तक किसी प्रकार की जांच प्रारंभ की जाती है तो तत्काल पृथक से सूचित किया जावे।
- अनुभाग अधिकारी, डी.पी.सी./वरिष्ठता अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक को पालनार्थ।
- प्रभाग, संस्थापन वी1-2, अनुभाग हाजा।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram (कार्मिक)  
Designation: Director  
Date: 2023.10.29 11:45:03 IST  
Reason: Approved

RajKBSFPPMCA 64800968er

